THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित )

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ Plexh/Cir/549
दिनांक : 03.11.2026

को,

Plexconcil/ COA के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

**विषय: फॉरेन ट्रेड पॉलिसी (FTP), 2023 के तहत मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांज़ैक्शन (MTT) पर क्लैरिफिकेशन**

परिषद आपको सूचित करना चाहती है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांज़ैक्शन (MTTs) से संबंधित **AP (DIR सीरीज़) सर्कुलर नंबर 20, दिनांक 23 जनवरी 2020 के पैरा 2(iii) की व्याख्या को स्पष्ट कर दिया है।**

यह क्लैरिफिकेशन एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन की तरफ से आई उन दिक्कतों के बाद आया है, जिनमें कुछ ऑथराइज्ड डीलर (AD) बैंकों ने इस आधार पर MTTs की सुविधा देने से मना कर दिया था कि इसमें शामिल सामान इंपोर्ट पॉलिसी के तहत रिस्ट्रिक्टेड थे, जिससे एक्सपोर्टर्स को दिक्कतें आ रही थीं।

इस संबंध में, आरबीआई ने सलाह दी है कि उपरोक्त परिपत्र के पैरा 2 (iii) की व्याख्या को **विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 2.39** के साथ संरेखित किया जाना चाहिए , जो आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन, भारतीय बंदरगाहों को छुए बिना एक विदेशी देश से दूसरे विदेशी देश में माल की शिपमेंट से जुड़े व्यापारिक व्यापार, या एक विशिष्ट विदेशी देश के भीतर भारतीय मध्यस्थ की मदद से माल की शिपमेंट की अनुमति देता है।

सिर्फ़ **CITES और SCOMET लिस्ट** में आने वाले सामान/आइटम ही एक्सेप्शन में हैं ।

**यहां से डाउनलोड करें** : https://membership.plasticsepc .org/mails_images/202611020626 16.pdf

इसलिए, मेंबर्स को सलाह दी जाती है कि वे ऊपर दी गई जानकारी पर ध्यान दें और जहाँ भी लागू हो, मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांज़ैक्शन करते समय अपने-अपने AD बैंकों को इसकी जानकारी दें।

साभार

भारती परावे

निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल